पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

CITY OF PATNA

Letter No. /पत्रांक: 1212

Date /दिनांक: 11/01/2024

संचिका सं0– P/DHANAUT/PRN-G+3/408/2021
(ऑटो मैप सं०–PMC-BPAS-00981/2021/BP)

सेवा में,

1.
(1) SRI MANOHAR RAI S/O-LATE RAMRUP RAI
(2) SRI KRISHNA PRASAD S/O-LATE RAMGATI RAI
(3) SRI PANCHHI RAI S/O-LATE RAMGATI RAI
(4) SRI SHARMA RAI S/O-LATE RAMGATI RAI
ADD.-MAHUABAGH ,P.S.-RUPASPUR, PATNA.

2. अभियंता–SHAILESH RANJAN, निबंधन सं0–ER/19/16
पटना नगर निगम।

3. वास्तुविद–ANAND KUMAR, निबंधन सं0–CA/2010/46971
पटना नगर निगम।

विषय :– **प्लॉन केस सं0–P/DHANAUT/PRN-G+3/408/2021 ऑटो मैप आवेदन संख्या–PMC-BPAS-00981/2021/BP के निबंधित वास्तुविद/सरंचना अभियंता/अभियंता के द्वारा अतिरिक्त भू–पट्टी–3.19 वर्ग मीटर भू–पट्टी छोड़कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण करवाने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के अनुपालन में सूचित करना है कि भू–स्वामी/भवन निर्माणकर्त्ता के द्वारा Construction के दौरान **अतिरिक्त भू–पट्टी–3.19 वर्ग मीटर** भू–पट्टी छोड़ कर हीं निर्माण करेंगे एवं इस आशय की लिखित सूचना विभाग को देंगे, साथ हीं कार्य प्रारंभ करने की सूचना भवन उपविधि 2014 के Form-X (Form of Notice for Commencement of Work) BYE LAWS No.- 8 (6) (F), 10 के अनुरूप समर्पित की जाय।

अतः निबंधित वास्तुविद/सरंचना अभियंता/अभियंता ये सुनिश्चित करेंगे कि Construction के दौरान **अतिरिक्त भू–पट्टी–3.19 वर्ग मीटर** भू–पट्टी छोड़कर हीं निर्माण किया जा रहा है। भवन उपविधि के अनुसार Form-V में दिये गये प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे तथा भवन उपविधि–14 एवं महायोजना 2031 के उल्लंघन में आवेदक तथा निबंधित वास्तुविद/सरंचना अभियंता/अभियंता किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे एवं भवन उपविधि 2014 के कंडिका 13(2) के अनुसार आवधिक प्रतिवेदन लिखित तौर पर प्रपत्र–ग में जमा करना संबंधित वास्तुविद/सरंचना अभियंता/अभियंता के द्वारा आवश्यक होगा। साथ हीं निर्माण के समय अधोहस्ताक्षरी तथा संबंधित प्रारूपक/कनीय अभियंता से समय–समय पर समन्वय स्थापित कर स्थल दिखाना आवेदक तथा वास्तुविद/सरंचना अभियंता/अभियंता की जिम्मेवारी होगी। किसी भी प्रकार की भवन उपविधि में लापरवाही/उल्लंघन के लिये आवेदक एवं निबंधित वास्तुविद/सरंचना अभियंता/अभियंता जिम्मेवार होंगे और विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन,

11/01/24

निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।